केस स्टडी-05/2025

SPAD

जारी तिथि : 07.02.2025

घटनाक्रम:- दिनांक 02.02.2025 को दक्षिण पूर्व मध्य रेल के बिलासपुर मंडल में ट्रेन क्रमांक BOBRN/E, लोको क्र. 70140+70438 WDG4 VSKP से JSG - RIG सेक्शन में कार्य करते समय ट्रेन 04:47 बजे इब (IB) स्टेशन पर पहुंची और 05:30 बजे 4th लाइन/UP आउटर पर IB स्टेशन से रवाना हुई और ब्रजराजनगर (BRJN) स्टेशन का डिस्टेंट सिग्नल एक पीला था और LP ने ट्रेन को 20 Kmph गति तक नियंत्रित भी किया था। होम सिग्नल (S-1) को **"लाल"** में पार किया। (समय: 5.35 बजे) IB स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने पाया कि गाड़ी होम सिग्नल को ऑन स्थिति को पार करके आ रही है, उसने तुरंत वॉकी-टॉकी पर चालक दल को सूचित किया, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, फिर उसने CUG पर ट्रेन प्रबंधक को कॉल किया और TM ने ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका।

संभावित कारण:-

- 4th लाइन पर आवाजाही कम होती थी। चालक दल लंबे अंतराल के बाद उस लाइन में काम कर रहा था, लेकिन LR due नहीं था।
- कर्मीदल मेन लाइन होम (समानांतर में) से भ्रमित हो गया, जो किसी अन्य ट्रेन के लिए दिया गया था।
- डिस्टेंट एक पीला दिखने पर भी ALP द्वारा RS वाल्व पर हाथ न रखना व समय पर RS वाल्व न खोलना।
- कर्मीदल द्वारा अपने लाइन का होम सिग्नल के संकेत लाल है, ये देखने में विफल रहना।

उपरोक्त घटना से सबक:-

- ✓ कर्मीदल को जिस सेक्शन में कार्य करना है उस सेक्शन एवं सिग्नल का सही जानकारी होनी चाहिए।
- ✓ LP/ ALP को हाथों के इशारों से ज़ोर से सिग्नल के संकेतों को पुकारना चाहिए, जैसे हरा संकेत-1 बार, डबल पीला-2 बार, एक पीला-3 बार व लाल-4 बार।
- ✓ एक पीला सिग्नल मिलने के बाद, ALP ने LP को बार बार याद दिलाना चाहिए कि आगे सिग्नल लाल है और गति नियंत्रित न करने पर RS वाल्व खोल दें।
- ✓ सिग्नल एक पीला दिखने पर ALP खड़े होकर RS वाल्व पर लाल सिग्नल पर गाड़ी रुकने तक हाथ रखें व आवश्यकता पड़ने पर समय रहते RS वाल्व खोल दें
- ✓ जब भी गाड़ी पीले सिग्नल से गुजरे, तो LP/ ALP को सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए तथा अगले स्टॉप सिग्नल से पहले अपनी गाड़ी रोकने के लिए तैयार रहना चाहिए, कभी भी यह मानकर न चलें कि अगला सिग्नल ऑफ ही होगा या हो जाएगा।

(निखिल सिंह)
वरि.मं.वि.इंजि.(परि.),नागपुर

नोट: केस स्टडी केवल कर्मीदल को काउन्सलिंग देने के उद्देश्य से तैयार की गई है, इसे काउन्सलिंग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए मान्य नहीं होगा।

सभी मुख्य लोको निरीक्षक/मुख्य लोको नियंत्रक उपरोक्त निर्देशों को सभी लोको रनिंग कर्मचारियों को अवगत कराएं एवं कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।